International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 13 Issue 7|| July 2024 || PP. 90-97

नारीवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का दार्शनिक विश्लेषण

CINDRELLA ANAND
Research Scholar
P.G. Department of Philosophy
Magadh University Bodh Gaya
Email: cindrella0888@gmail.com

सारांश:
नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है, जो स्त्री को पुरुष के समान अधिकारों पर बल देती है। नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच बहुत सारी असमानताएं है। ये न तो प्राकृतिक है, न ही *आवश्यक,* इन सभी असमानताओं को दूर कर नारी को नारीवादी आंदोलन के तहत *राजनीतिक*, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा लैंगिक समानता प्राप्त करने तथा स्थापित करने का लक्ष्य साझा करती है। नारीवाद एक ऐसी विश्वव्यापी आंदोलन है, जो समकालीन में नारी की अधीनस्थ और अवपीड़ित स्थिति को समाप्त करके उन्हें पुरुष के समकक्ष स्थान दिलाने को आकांक्षी है। नारीवाद के संबंध में *प्रथम* नारीवादीन, *Merry Wollstonecraft* ने कहा था- *"*मैं यह नहीं कहती कि पुरुष के बदले स्त्री का वर्चस्व पुरुष पर स्थापित हो जरूरत तो इस बात की है कि स्त्री को स्वयं के बारे में सोचने विचारने और निर्णय लेने का अधिकार मिले*।" Wollstonecraft* की आवाज आज भी नारीवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत है*।*
नारीवाद के ऐतिहासिक अध्ययन द्वारा भारत तथा पाश्चात्य देशों में नारीवाद के तीन चरणों का उल्लेख मिलता है। जिसके फलस्वरूप आज नारी की स्थिति पूर्व की अपेक्षा बेहतर प्रतीत होती है। नारीवादी आंदोलन का प्रादुर्भाव स्त्री-पुरुष समानता तथा पितृसत्तात्मक समाज से मुक्ति हेतु चलाया गया। किन्तु नारीवादी आंदोलन द्वारा की गई प्रगति के बावजूद *आज भी* आधुनिक भारत में महिलाओं को भेदभाव के कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है*।* हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, जो पुरुषों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है तथा *सदैव* स्त्रियों के संबंध में यह धारणा रही है कि स्त्री हीन होती है*।* *पितृसत्तात्मकता* इसका एक प्रमुख कारण रहा है*।* वर्तमान में नारियों को जितने अधिकार मिले है, वह व्यवहारिकता से कोसों दूर है*।* *अतः स्त्री अपने अधिकारों हेतु आज भी संघर्षशील है।*

मूल शब्द - नारीवाद, लैंगिक समानता, महिला संगठन, पितृसत्तात्मक*।*

प्रस्तावना:

संसार में व्याप्त तीन तरह के मानव प्राणी की रचना प्रकृति ने की है - स्त्री, पुरुष तथा ट्रांसजेंडर। स्त्री जिसे विभिन्न नामों से परिचय कराया जाता है- स्त्री, नारी, महिला तथा औरत यह सभी शब्द स्त्री के परिचायक माने जाते हैं। अतः नारीवाद को समझने हेतु सर्वप्रथम इन सभी शब्दों के शब्दार्थ तथा इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक है।

शब्दार्थ:

स्त्री शब्दार्थ: यास्क ने अपने निरुक्त में 'स्तयै' धातु से इसकी उत्पत्ति की है, जिसका अर्थ लगाया गया है- लज़्ज़ा से सिकुड़ना, यास्क की व्युत्पत्ति पर दुर्गाचर्या ने लिखा है- 'लज़्जार्थस्य लज़्ज़ान्तेपि हि ता:' इसका

भावार्थ - लज़्ज़ा से अभिभूत होने से है।[1] यहाँ आपत्ति की बात यह है कि लजाना शर्माना स्त्रिओं का जन्मजात गुण नहीं है। अगर पितृसत्तात्मक सभ्यता में खास तरह के समाजीकरण के तहत स्त्रियों पर लज़्ज़ा का भाव आरोपित न किया जाये तो वे भी लड़कों की तरह कम से कम अपने जायज हकों के लिए समाने वाले की आँखों में आँखें डाल कर बात करने में समर्थ हो सकती है, न की छुई-मुई गुड़िया बनी रहे। सच तो यह है कि ऐसी भी व्युत्पत्तियां सभ्यताजनित स्थितियों को स्वाभाविकता प्रदान करने की दिशा में खड़ी है ।

नारी शब्दार्थ: यह वैदिक शब्द नहीं है, पर इसका वर्णन वेद में नृ/ नर के प्रयोग के रूप में मिलता है, जिसका अर्थ है- वीर, नेता आदि। 'नृ' शब्द तब स्त्री-पुरुष सबको समेट कर मानव मात्र का वाचक था। उसी से पुलिंग 'नर' (नृ + अच्) बना, जिसमें 'ई' प्रत्यय जोड़ कर नारी शब्द सिद्ध किया गया।[2] इस प्रकार की व्युत्पत्ति से साफ जाहिर होता है कि नर के समक्ष नारी गौण या हीन है ।

महिला शब्दार्थ: यह 'मह्' धातु (आदर, पूजा करना) से व्युत्पन्न माना गया है। इसका अर्थ हुआ- आदरणीय या पुज्या। लेकिन आप्टे-कोष में इसके अर्थ में स्त्री के साथ मदमत्त या विलासिनी स्त्री भी दिया गया है।[3] महिला शब्द मूलतः स्त्री की महिमा या समाज में उसकी बुलंद हैसियत को रखांकित करने वाला शब्द लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस युग या देश कल की छाया है, जिसमें मातृसत्तात्मक व्यवस्था या मातृवंशी-मातृप्रधान समाज अस्तित्व में रहा होगा। तब स्त्री की सामाजिक और आर्थिक सत्ता मजबूत थी और वही समाज का नेतृत्व करती थी। तब समाज में पिता जैसा पद महत्व नहीं रखता था।

औरत शब्दार्थ: हिंदी शब्द 'औरत' मूल रूप से फ़ारसी और अरबी से आया है। अरबी के 'औराह' शब्द से औरत शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है- दोषपूर्णता और नगन्ता।[4] अगर हम इसके मूल अर्थ में देखें तो औरत को कमजोर, अपूर्ण मानने जैसी बातें निहित है। दुनिया भर में नारीवादी सोच के लोग 'औरत' शब्द को उपयोग में लाना उचित नहीं समझते हैं, क्यूंकि यह स्त्री के आत्मसम्मान और अस्तित्व पर सवाल उठाता है। इस शब्द पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होना चाहिए।

नारीवाद क्या है? नारीवाद (फेमिनिस्ट) शब्द का सर्व्प्रथम प्रयोग सन् 1871 में फ़्रांस में चिकित्सीय पुस्तकों में किया गया था। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है, जो स्त्री को पुरुष के समान अधिकारों पर बल देती है। नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच बहुत सारी असमानताएं है। ये न तो प्राकृतिक है, न ही आवश्यक इन सभी असमानताओं को दूर कर नारी को नारीवादी आंदोलन के तहत राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा लैंगिक समानता प्राप्त करने तथा स्थापित करने का लक्ष्य साझा करती है। नारीवाद एक ऐसी विश्वव्यापी आंदोलन है, जो समकालीन में नारी की अधीनस्थ और अवपीड़ित स्थिति को समाप्त करके उन्हें पुरुष के समकक्ष स्थान दिलाने को आकांक्षी है।

नारीवाद समानता के लिए प्रयासरत आंदोलन एवं विचार के रूप में जाना जाता है। नारी को व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक रूप में केंद्र में रखकर नारीवाद का प्रारम्भ पाश्चात्य देशों (ब्रिटेन, अमेरिका, फ़्रांस)[5] में हुआ। समय के साथ-साथ इस आंदोलन का प्रभाव विश्व के सभी देशों में पड़ा। जिसका विवरण इस प्रकार है-

<u>भारतीय सन्दर्भ में नारीवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:</u>

भारतीय नारीवाद आंदोलन को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तीन चरणों में बांटा गया है। जिसका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है-

भारत में नारीवाद आंदोलन की **पहली लहर** 1850 से 1915 तक अर्थात अंग्रेजों के शासन काल से लेकर गाँधी जी के अफ्रीका से भारत लौटने तक के घटना क्रम में हुए स्त्री संबंधित आंदोलनों एवं संगठनो से लिया जा

सकता है।[6] अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय कानून वयवस्था धार्मिक सहिंताओ पर आधारित थीं। ये धार्मिक सहिंताएँ अलग-अलग क्षेत्र, जाति, धर्म के लिए अलग-अलग होने के कारण धार्मिक सहिंताओ में एकरूपता न के बराबर थी। इस कारण अंग्रेजों को शासन् करने में कठिनाई आ रही थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने सन् 1773 में हिन्दू धर्मशास्त्रों के आधार पर हिन्दू कानून सहिंता को संस्कृत भाषा में तैयार कराया था। बाद में इस सहिंता का फ़ारसी तथा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया तथा ब्रिटेन में इसे 'A Code of Gentoo Laws'[7] नाम से प्रकाशित किया गया। हिन्दू कानून सहिंता (Hindu Code Bill) हिन्दू धर्म शास्त्रियों अर्थात सवर्ण जातियों के द्वारा तैयार किये जाने के कारण इसके नीति-नियम, रीती-रिवाज कानून को सवर्ण जातियों पर लागु करना विरोधाभास को उत्पन्न करता था। उदहारणस्वरुप- सती-प्रथा, बाल-विवाह, विधवा-विवाह जैसी कुप्रथाओं का शिकार अधिकतर सवर्ण जातियों की स्त्रियाँ होती थी। दलितों में इस प्रकार की कुप्रथाएँ थी ही नहीं। सन् 1856 में 'हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कानून'[8] बनने से सवर्ण विधवा को पति की संपत्ति के प्रबंध का अधिकार पुरुष वारिश नहीं होने पर ही मिलता था तथा पुर्नविवाह करने पर विधवा का अपने पूर्व पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं रहता था। जबकि स्थानीय रीती-रिवाजों के अनुसार दलित विधवा स्त्री पुनर्विवाह के बाद भी अपने पुर्व पति की संपत्ति की अधिकरणी हो सकती थी। दलित स्त्री के लिए ऐसी कोई पाबन्दी नहीं थी। इस तरह अंग्रेज सरकार ने सवर्ण जाति की स्त्रयों को थोड़े से कानूनी अधिकार देकर निम्न जाति की स्त्रियों को संपत्ति संबंधी पारम्परिक सुविधाओं से वंचित कर दिया। अंग्रेजों के शासन काल के दौर में समाज सुधारकों ने स्त्री संबंधित अनेक प्रश्नों को उठाया। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार को प्रार्थना पत्र भेज कर 1829 में सत्ती प्रथा निरोधक कानून बनवाया।[9] विधवा पुनर्विववाह, बहुविवाह प्रथा तथा विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना अदि राजा राम मोहन राय के मुख्य सामाजिक उपदेश थे। प्रार्थन समाज में स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये। बम्बई शिक्षा समाज के तहत शिक्षा की स्थापना की। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर शिक्षा एवं समाज सुधार एवं हिन्दू सुधार आंदोलन किये। ये स्त्री शिक्षा तथा स्त्री के साथ मानवीय व्यवहार के समर्थक थे। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का नाम आता है। इन्होंने लड़कियों के शिक्षा के प्राप्ति हेतु भारत में पहला स्कूल स्थापित किया। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले पांच नये विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हे सम्मानित भी किया। एक महिला प्राचार्य के लिए सन् 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबन्दी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ीं, बल्कि दूसरी लड़कियों का पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। इसके साथ ही स्त्री उत्थान की लड़ाई में अनेक महान स्त्रियों का योगदान रहा है। उदहारणस्वरुप, पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू, मीठूबेन पेटिट, आदि। इन सभी के प्रयास से 8 साल से छोटी बच्ची का विवाह गैर क़ानूनी माना गया तथा सभी प्रकार की कुप्रथाओं का उन्मूलन कर कानून पारित किये गए।

भारतीय आंदोलन की **दूसरी लहर** 1916 से 1970 तक माना जाता है। इस समय से पूर्व स्त्री के प्रश्न समाज सुधारकों के लिए ही मायने रखता था। लेकिन अब स्त्रियों ने अपने प्रश्न खुद अपने हांथो में ले लिए थे। वे प्रथम विश्वयुद्ध के समय में ही राजनीति से परिचित हो चुकी थी। राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों को सक्रीय बनाने में गांधीजी की प्रमुख भागीदारी रही। सन् 1920-22 के बीच असहयोग आंदोलन में स्त्रियों को शामिल करके गांधीजी ने उनकी गतिविधियों का विस्तार किया था। गांधीजी ने स्त्रियों के दमन तथा शोषण के विरोध में प्रश्न उठाये थे। उन्होंने लड़की की विवाह के लिए उसकी सहमति को आवश्यक माना था तथा स्त्री के अस्तित्व को धयान रखते हुए, उन्हें अवसर प्रदान करने पर जोर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों की हिस्सेदारी से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही यह जान लिया था कि वह राजनीतिक दायरे से बाहर है। स्त्रियों ने सन् 1917 में पहली बार मत

देने की मांग की। मद्रास विधानसभा परिषद ने महिलाओं को सन् 1920 में मताधिकार दे दिया। इसका अनुसरण करते हुए सन् 1921 में मुंबई विधान परिषद् ने भी ऐसा ही निर्णय पारित कर दिया।[10] सन् 1921 तक सभी प्रांतीय विधान परिषदों में स्त्रियों को मताधिकार दे दिया गया था। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गए और साथ ही जाति, धर्म, जन्म स्थान शिक्षा या संपत्ति जैसी किसी भी भेदभाव से भारत के सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया।[11] परिणामस्वरूप, स्त्रियां राष्ट्रीय अजेंडा में सक्रिय होने लगी तथा विभिन्न स्त्री संगठन (देश सेविका संघ, नारी सत्याग्रह समिति, महिला राष्ट्रीय संघ, लेडीज़ पिक्टिंग बोर्ड, स्वयं सेविका संघ, स्त्री सवराज संघ आदि) बनने लगे। सन् 1928 में महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। बंगाल में यह पहला महिला संगठन था, जिसने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया था। इसका मुख्य उदेश्य मुंबई की राष्ट्रीय स्त्री-सभा की तरह देश की स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करना और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना था।[12] इस समय गुजरात में मिथुबेन पेटिट ने कस्तूरबा गाँधी के साथ मिलकर स्वराज संघ की स्थापना की। इन्होंने गांव-गांव घूमकर स्त्रियों में जाग्रति का संचार करने का कार्य किया। सन् 1931 में लेडीज़ पिक्टिंग बोर्ड बना जिसका उद्देश्य घरेलु उधोग व्यवसाय को लोकप्रिय बनाना, उन्हें विकसित करना, खादी वस्त्र बनाना देश की स्वाधीनता तथा देश की बराबरी का प्रचार करना, जुलुस निकलना, सभाएं करना, छुआ-छूत मीटाने के लिए उपदेश देना आदि था। सन् 1926 में 'All India Womens Conference' (AIWC) की स्थापना स्त्रियों की शिक्षा, मताधिकार, क़ानूनी अधिकार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए हुई। AIWC ने प्रदा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा को स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार में रुकावट माना तथा इसे दूर करने के लिए 'All India Educational Conference' की स्थापना की गयी। स्त्री शिक्षा का महत्व प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सुधार आंदोलन पूणा में सन् 1927 में आयोजित किया गया साथ ही घरेलु अर्थवयवस्था बाल कल्याण, संगीत, चित्रकारी, प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य, व्यापार, सिलाई, कढ़ाई आदि पर जोर दिया गया। पूणा सम्मेलन में उभरे इन तमाम मुद्दों ने AIWC को विस्तृत फलक प्रदान किया। जिसके तहत इसने स्त्री शिक्षा, मताधिकार, क़ानूनी अधिकार के साथ-साथ समाज सुधार के क्षेत्र में भी सक्रीय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन की शुरुआत में उनका काम थोड़ा सिमित था। लेकिन बाद में कम्युनिस्ट स्त्रियों तथा राष्ट्रीय स्त्रियों ने मिलकर राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने का अभियान शुरू किया। जब भारत छोडो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी समय साहित्य में महदेवी वर्मा की महत्वपूर्ण पुस्तक, 'श्रंखला की कड़ियाँ' 1942 प्रकाशित हुई। इसमें स्त्री से जुड़ी समस्याओं को उठाया गया। सन् 1960 के दशक में स्त्री-पुरुष समानता को लेकर कोई गतिविधि नहीं हुई थी। लेकिन स्त्री-पुरुष की इस समानता की सोच ने भारतीय नारीवादी की तीसरी लहर के लिए पृष्ठभूमि अवश्य तैयार कर दी थी।

भारत में नारीवादी आंदोलन की **तीसरी लहर** के लिए 1970 बाद का समय अति महत्वपूर्ण रहा। इस समय महिला आंदोलन ने व्यापक आकार और स्वरूप ग्रहण कर लिया था। महिला आंदोलन समय की मांग के अनुसार हर एक छोटे-मोटे गांव में सक्रिय होने लगा। सन् 1970 के दशक में उत्तराखंड में 'रेणी' नामक गांव में 'चिपको आंदोलन' तथा कर्नाटक में 'एपीको आंदोलन' को अनेक महिला और गैर सरकारी सामाजिक संगठनो ने संघर्ष का मुद्दा बनाया। इसी समय बढ़ती मॅहगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी की महिलाएं तथा राजनीतिक पार्टियों की महिलाओं ने हजारों की संख्या में स्त्रियों को एकजुट करके विरोध जताने के लिए जुलुस निकाले। जिसमें राशन की दुकानों को जला दिया गया तथा सरकारी कर्मचारियों का घेराव किया गया। गुजरात में इसे 'नवनिर्माण आंदोलन' का नाम दिया गया। महिला कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल भी की लेकिन आपातकाल की घोषणा के कारण यह आंदोलन मंद पड़ गया। सन् 1980 के दशक में स्त्री हिंसा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ अनेक महिला संगठनों ने आवाज़ उठाई। पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, बंगाल, दिल्ली जैसे राज्य में दहेज़ के खिलाफ आंदोलन चलाये गए। दहेज़ हत्या घर के अंदर होती थी और अक्सर इसे एक

दुर्घटना बता कर दबा दिया जाता था। दहेज़ हत्या के विरुद्ध हुए महिला आंदोलन के कारण दहेज़ कानून में महत्वपूर्ण संसोधन चलाये गए। दहेज़ हत्या के साथ-साथ बलात्कार के खिलाफ आंदोलन इसी दौरान उभरा। सन् 1978 में हैदराबाद में गरीब स्त्री पर पुलिस द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। सन् 1972 में महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन के भीतर ही पुलिस द्वारा आदिवासी लड़की मथुरा पर बलात्कार किया गया। उच्च न्यायालय ने मथुरा को चरित्रहीन कहकर बलात्कार के आरोपी पुलिस वालो को बरी कर दिया। न्यायालय में इसका जमकर विरोध हुआ। अब स्त्रियों ने मिडिया का भी समर्थन भी मिलने लगा था। मथुरा रेप केस को लेकर मिडिया भी सक्रीय हो गयी थी, जिसके फलस्वरूप पुरे देश में जनआक्रोश की लहर दौड़ गयी थी। अतः बलात्कार कानून में संसोधन किया गया सन् 1980 के दशक में विकलाँगता जांचने के कार्य प्रारम्भ किये गए। गर्भनिरिक्षण, बच्चे के लिंग परिक्षण जांचने हेतु किया जाने लगा। इस परिक्षण का दुरूपयोग रोकने के लिए सन् 1984 में मुंबई में (FASDSP) का गठन हुआ। 1994 में गर्भपरीक्षण को क़ानूनी अपराध कहकर कानून बनाया गया। राष्ट्र में महिला आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद महिलाओं की भागीदारी संसद व राज्य विधानसभाओ में नाम मात्र ही रही। सन् 1951 में महिलाओं का विधायकाओ में लगभग आठ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा। महिलाओं की प्रशासन् में भागीदारी बढ़ने के लिए सविंधान में 73वां और 74वां संसोधन एक महत्वपूर्ण कदम था, इसमें स्थानीय प्रशासन् में महिलाओं को कम से कम 33% भागीदारी आरक्षित कर दी गयी। लेकिन सभी राज्यों में यह समान रूप से यह लागु नहीं हो सका। भारतीय महिला आंदोलन की तीसरी लहर में अलग-अलग स्थानों पर नए-नए महिला संगठन अस्तित्व में आये, जिन्होंने स्त्री को जागृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन् 1974 में हैदराबाद में कम्युनिस्ट महिलाओं ने मिलकर पहला प्रगतिशील महिला संगठन बनाया, जिसमें पितृसत्तात्मक मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए स्त्री के दमन व शोषण के मुद्दों को उठाया गया। महाराष्ट्र में सन् 1975 में पुरोगामी महिला संगठन स्त्री मुक्ति संगठन और महिला समता सैनिक दल बने। जिन्होंने महिलाओं के मुद्दे उठाये सन् 1977 में 'ALL INDIA DEMOCRATIC WOMEN ASSOCIATION' तथा सन् 1974 में गठित 'NATIONAL FEDRATION OF INDIAN WOMEN' ने कामकाजी महिलाओं के मुद्दे बराबर वेतन, प्रसूति की छुट्टी ,बच्चों के लिए क्रैश सुविधाओं आदि पर काफी काम किया। गुजरात में सेवा ट्रेड यूनियन ने गांधीजी विचारधारा से प्रभावित होकर लघु उधोग से जुडी महिलाओं को संगठित करने का प्रयास किया तथा काम-काजी महिलाओं के लिए बचत बैंक की स्थापना भी की।

<u>पाश्चात्य सन्दर्भ में नारीवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:</u>

पाश्चात्य सन्दर्भ में नारीवाद की **पहली लहर** 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से 1930 के दशक तक "इन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ फिलोसोफी" के अनुसार मानी जाती है।[13] इस लहर को 'पुरानी लहर' के नाम से भी जाना जाता है। यधपि 40 वर्ष पूर्व ही नारी मताधिकार का आंदोलन सक्रिय रूप से प्रारम्भ हो चूका था। किन्तु प्रथम लहर के काल में अमेरिका एवं इंग्लैंड में नारी मताधिकार के सन्दर्भ में इस पद का प्रयोग व्यापक सन्दर्भ में हुआ था। इस अंश में नारीवाद की प्रथम लहर संबंधित विचारकों का संक्षिप्त परिचय एवं कार्य का उल्लेख इस प्रकार है। जिनके द्वारा बनायीं गयी ठोस नींव पर ही नारीवाद का विकास सार्थक हो सका। "मेरी वूलस्टोनक्राफ्ट" को प्रथम ब्रिटिश नारीवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी कृत "थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ़ डॉटर्स" एवं "ए विंडीकेशन ऑफ़ द राइट्स ऑफ़ वीमेन" है, जिसके द्वारा मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने नारीवाद को एक सार्थक दिशा प्रदान की। मेरी के काल में किसी विचारक का नारी शिक्षा पर बल देना अपने आप में एक नए युग का सूत्रपात था। 'एलिज़ाबेथ कैडी स्टेटंस' ने अमेरिका में नारीवाद चिंतन को एक सुदृढ़ आकर देने की दिशा में "द नेशनल सफ्रेज एसोसिएशन" की स्थापना की तथा इन्होंने विमेंस बाइबिल लिखी।[14] 'जॉन स्टुअर्ट मिल' इंग्लैंड के दार्शनिक एवं सामाजिक आलोचक है। 'मिल' की "द सब्जेक्ट ऑफ़ वोमेन" में पितृसत्तात्मक ढांचे के अंतर्गत नारी केंद्रित असमानता का विवेचन किया है। सिग्मंड फ्रायड एक मनोवैजानिक थे, उन्होंने "थ्री एसे ऑन द थ्योरी ऑफ़ सेक्सुअलिटी 1905" लिखी है।[15] 'मार्गरेट फुलर' ने "वोमेन इन द

निनटींथ सेंचुरी 1845" लिखी। 'सेटला ब्राउन' एक ब्रिटिश नारीवादी विचारिका है। इनके कार्यों में 1920 से 1930 के बीच गर्भपात एवं जनसंख्या नियंत्रण संबंधित लेखों का बड़ा महत्व था। 'जेन ऐडम' अमेरिकी समाज सुधारक है। इनकी कृतियाँ "व्हाई वोमेन शुड वोट" 1909, "द लार्जर आस्पेक्ट ऑफ़ द वोमेंस मूवमेंट" 1914, "वोमेन वॉर एंड सफ्रेज" 1915 है। इस प्रकार से विभिन्न नारीवादी विचारकों के माध्यम से एक नवीन आंदोलन प्रारम्भ हुआ। जिसका एक मात्र उद्देश्य नारी को समाज में एवं परिवार में समानता दिलाना था। प्रथम नारीवादी आंदोलन के काल में अमेरिका ने 1919 में नारियों को मताधिकार मिला था। ब्रिटेन ने इस लहर के बाद 1927 में एवं फ्रांस ने नारी मताधिकार 1944 में दिए थे। नारीवाद का प्रथम लहर के काल में ही उदारवादी नारीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। उदारवादी विचारकों के अनुसार नारी, शिक्षा एवं संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करके नारी समानता को प्राप्त कर सकती है। नारीवाद की प्रथम लहर ने विश्व की आधी आबादी को एक ऐसे अँधेरे से बाहर लाने का सार्थक प्रयास किया, जिसमें नारी सदियों से एक अशिक्षित, सम्पत्तिहीन क़ानूनी अधिकारों से रहित जीवनयापन करने को विवश थी। नारीवाद की प्रथम लहर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारीवाद की अन्य दो लहरों के लिए यह आधारशिला बनी है। ऐतिहासिक दृष्टि से नारी समानता को प्राप्त करने का बिगुल इसी लहर के काल में नारीवादियों द्वारा बजाया गया था।

पाश्चात्य नारीवाद की **दूसरी लहर** का काल 1960 से 1979 के बीच माना जाता है। कुछ विचारक दूसरी लहर के प्रारम्भ का श्रेय 'सिमोन द बोउवार' एवं 'बेट्टी फ्रीडेन' को देते है।[16] दूसरी लहर के काल में नारी समानता का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। नारी को क़ानूनी अधिकारो में समानता प्राप्त करने के लिए विभिन्न विचारकों ने अत्यधिक संघर्ष किया है। नारी को घर के अंदर परिवार में भी अधिकार दिलाने के लिए नारीवादी विचारकों ने अथक प्रयास किये। फलतः संपत्ति का अधिकार मताधिकार गर्भपात से संबंधित अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रथम लहर के पश्चात के काल में चरम पर था। दूसरे लहर के विकास में 1960 के पूर्व के विचारकों का योगदान अत्यधिक है। इनकी कृतियों एवं कार्यों का प्रभाव दूसरी लहर पर पड़ा। इन विचारकों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- "क्रिस्टल ईस्टमैन' ने लैंगिक अधीनीकरण को समाजवाद आंदोलन में प्रस्तुत किया है। इनकी पुस्तक 'इक्वल राइट' 1924 में प्रकाशित हुई थी। 'वर्जीनिया वोल्फ' ने अपने साहित्य के माध्यम से नारी अधीनता को दर्शाया है। इनकी कृतियाँ "मिसेज डोलवे टू द लाइट हाउस", "ऑरलैंडो अ रूम ऑफ़ वन्स ऑन", "थ्री जीनियस" इत्यादि है।[17] 'साइमन द बोउवार' का दूसरे लहर की उत्त्पति में अत्यधिक योगदान स्वीकार किया गया है। इनकी कृति "द सेकंड सेक्स'" का दूसरे लहर पर अत्यधिक प्रभाव रहा। इस पुस्तक में उन्होंने स्त्री असमानता के मूल कारणों का साहित्य दर्शन एवं इतिहास आदि की दृष्टि से विवेचन किया गया है। 'मेरी डेली' रेडिकल नारीवादी है। इनकी कृतियाँ "द चर्च एंड द सेकंड सेक्स" एवं "बियॉन्ड गॉड द फादर" है। 'जेकब दरीदा' फ्रेंच दार्शनिक है। इनकी कृति "ग्रामेटोलॉजी" है।[18] इस पुस्तक के द्वारा भाषा में लैंगिक भेद पर इन्होंने प्रकाश डाला है। 'टी ग्रेस एट किसन्' ने "द इंस्टीटूशन ऑफ़ सेक्सुअल इंटरकोर्स" 1970, लिखी है। 'बेट्टी फ्रीडेन' की 'THE FEMININE MISTIQUE' 1963 अमेरिका की नारियों के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालती है। 'केट मिलेट' ने "सेक्सुअल पॉलिटिक्स" 1970 लिखी है। इस प्रकार विभिन्न विचारकों ने अपने लेखन से आंदोलन की मुहीम चलायी। जिसका मुख्य उदेश्य था, नारी को समानता दिलाना नारी की असामनता के जड़ में निहित कारणों को नारीवादी विचारकों ने खोजने का प्रयास किया था। दूसरी लहर की नारीवादी आंदोलन में निम्नलिखित विचारधाराओं का उदय हुआ-

1. उग्र नारीवाद (रेडिकल नारीवाद)

2. समाजवादी नारीवाद

3. मार्क्सवादी नारीवाद ।[19]

पाश्चात्य नारीवाद की **तीसरी लहर** का काल 1990 के पश्चात की कालावधि से अभी तक माना गया है। तृतीय लहर का काल से पूर्व की नारीवादी विचारधाराओं में स्त्री समानता के लिए संघर्ष किया गया है। किन्तु ये विचारधराएँ सभी नारियों को एक ही ढाँचे में प्रस्तुत करती है। नारीवाद की तृतीय लहर पर 'उतर आधुनिकतावाद' का स्पष्ट प्रभाव है। जिस प्रकार उत्तर आधुनिकता किसी सार्वभौमिक सत्य ज्ञान विज्ञान का निषेध करता है, ठीक उसी प्रकार नारीवाद की तृतीय लहर में नारी के व्यक्तिगत स्वरुप एवं समस्याओं को उसके देश, काल, आदि परिस्थितियों से जोड़कर देखा गया है। इस प्रकार तीसरी लहर में नारी के समान्यीकरण का निषेध किया जाता है। नारीवाद की तीसरी लहर पर लोकसंचार माध्यम का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। लोकसंचार माध्यम से प्रभावित नारीवादियों ने नारीवाद को उत्तर नारीवाद कहकर सम्बोधित किया है।[20] नारीवाद की तीसरी लहर विश्व की नारियों की असमानताओं को दूर करने का सार्थक प्रयास करती है। इससे पूर्व का नारीवाद ब्रिटेन एवं अमेरिका जैसे देशों तक सिमटा हुआ है। "तीसरी लहर के नारीवाद विचारकों ने दूसरी लहर के विचारकों द्वारा नारियों के बीच नस्ल, क्षेत्रीयता, आयवर्ग, राष्ट्रीयता इत्यादि के कारण उपलब्ध भिन्नताओं की उपेक्षा करते हुए पाया गया है। तीसरी लहर के विचारकों ने नारी की मूल पहचान को ही लैंगिक संघर्ष का वास्तविक क्षेत्र बताया है।"[21] नारीवाद के तीसरे लहर के समय तक नारी कई प्रकार की समानताएं प्राप्त कर चुकी थी। नारीवाद की इस लहर में नारीवादी विचारधारा का अत्यधिक विकास हुआ।

उपर्युक्त नारीवादी आंदोलन के इतिहास एवं विकास के दार्शनिक विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों देशों के नारीवादी स्वरुप एवं मुद्दे अलग-अलग दृष्टिगोचर हुए हैं क्योंकि भारतीय और पाश्चात्य देशों में नारी की स्थिति विपरीत रही है। जिसका कारण यह है कि देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभाव अलग-अलग था। जब पाश्चात्य देशों में नारी शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर चुकी थी वहीं भारत की स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह नारीवाद के शब्द से भी परिचित नहीं थी। भारत की स्त्रियों को अपने अधिकार हेतु विभिन्न प्रकार के कुरूतियों तथा बेड़ियों को तोड़ना पड़ा। जिसमें विभिन्न नारीवादियों ने अपने कार्यों के द्वारा नारी के उत्थान का कार्य किया- मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट, सिमोन द बोउवार, जे. एस. मिल आदि तथा भारतीय सन्दर्भ में गार्गी, मैत्रयी, अपाला, घोषा आदि जैसे इतिहास रचने वाले नारीवादियों के कार्यों का प्रभाव ही रहा है कि आज स्त्री कई क्षेत्रों में अपने सफलता का परचम लहरा चुकी हैं और आज भी पूर्णरूपेण अपने अधिकार और अस्तित्व की प्राप्ति हेतु आंदोलन कर रही है, वह आज भी संघर्षशील है। यह एक विचारणीय विषय है जिसके बारे में चिंतन-मनन आवश्यक है तभी नारीवादी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष: उपर्युक्त नारीवाद के सन्दर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगी कि नारी सदैव अपने अस्तित्व अपने अधिकार के लिए आंदोलन करती रही है चाहे वह किसी भी देश से हो उसे समाज ने हमेशा हेय दृष्टिकोण से देखा है। वर्तमान युग में, आज हमारा समाज चाहे कितना भी आगे बढ़ गया है फिर भी वह नारीवादी नजरिये से बिलकुल पीछे ही प्रतीत होता है। कानून ने तो महिलाओं को समान अधिकार दे दिया है, किंतु समाज में नारियों को समान अधिकार कब प्राप्त होंगे? मेरा ऐसा मनाना है अगर सामाजिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो बदलाव हो सकता है। यह पहल स्वयं से शुरू करने की आवश्यकता है। साथ ही स्त्री को अपने स्त्रीत्व को भी समझने की जरुरत है। उसके अधिकार क्या हैं? जिसके लिए उन्हें स्वयं सजग होना पड़ेगा। जैसा की मैंने उपर्युक्त आलेख में यह दर्शाया है कि विश्व की पहली नारिवादीन मेरी वूलस्टोनक्राफ्ट ने कहा था - "स्त्री न तो स्वयं गुलाम रहना चाहती है और न ही पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है- मानवीय अधिकार! जैविक विभिन्नता के आधार पर वह अधिकार से वंचित नहीं होना चाहती।" अतः इस संबंध में पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है।

संदर्भ - सूची

1. पाठक, रविंद्र कुमार, 2017, शब्दार्थ- स्त्री, नारी और महिला, जनसत्ता, https://www.jansatta.com, p.01
2. वही, p. 02
3. वही, p. 03
4. हसन मोना, 2015, अवरा (नग्न) सत्य, The Nation, https://nation.pk
5. झा, डॉ कीर्ति, (2015), नारीवाद का दार्शनिक विश्लेषण, कला प्रकाशक, वाराणसी, p. 149
6. गुप्ता, डॉ. अनुपम, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, https://www.esiksha.mp.gov.in
7. नारीवाद: दर्शन एवं स्वरुप, https://www.mmcmodinagar.ac.in p. 09
8. Kumar kishan, 2024, क्या है? हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, Jagaran Josh, https://www.jagranjosh.com.
9. बिस्वास सौतिक, 2023, सती: विधवाओं को जिन्दा जलाने से रोकने में भारत को कैसे मिली थी जीत, https://www.bbc.com
10. आर्य, साधना, मेनन, निवेदिता, लोकनिता, जिनी, (2013), नारीवादी राजनीति: संघर्ष एवं मुद्दा, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, p. 341
11. वही, p. 342
12. वही, p. 163
13. झा, डॉ कीर्ति, (2015), वही, pp. 02, 03
14. Maggin Humm, 1989, The Dictionary of Feminist Theory, Co-ordinator of Womens Studies polytecnic of East London, British Library Cataloguning in Publication Data. p. 237
15. झा, डॉ कीर्ति, (2015), वही, p. 45
16. वही, p. 46
17. Maggin Humm, 1989, वही, p. 245
18. वही, p. 47
19. झा, डॉ कीर्ति, (2015), वही, p. 48
20. वही, p. 49
21. https://Plato.Stanford.edu/entreis/FeminismTopics